तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21/2/22	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उप० जरिये पत्र O22 R-3 CPC पर बहस सुनी गई। आवेदन पत्र O22 R-3 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी क्र.01 के वा. रि. रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वा. श्री. रेकर्ड पर लिया गया। वकील प्रार्थी श्रीमान विभाजित के समक्ष राजीनामा द्वारा [illegible] का एक और अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है पत्रावली दि० 11/4/22 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर, गुडामालानी
11/4/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 16/5/22 को पेश हो।
16/05/22	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के वकील अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाता है पत्रावली दि० 13/06/22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर SDO (गुडामालानी)
13/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 14/6/22 को पेश हो।
14/6/22	पत्रावली आज पेश हुई। बावजूद पुकार फरीकान अनुपस्थित। [illegible] फरीकान की ओर से [illegible] दिखाई गई। [illegible] के पक्षकारान व पक्षकारान के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त प्रकरण पक्षकारान की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:45 IST
Reason: SelfAttested

संशोधित शीर्षक

|| श्री ||

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर (S.D.O.) महोदय,
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

प्रार्थीगण :–

1. वगताराम वल्द राजाराम उम्र 62 वर्ष फौत के कायम–मुकाम
   1/1 नवाराम पुत्र वगताराम उम्र 24 वर्ष
   1/2 सांवलाराम पुत्र वगताराम उम्र 38 वर्ष
   1/3 अमियोदेवी पत्नी वगताराम उम्र 58 वर्ष
2. भूराराम वल्द राजाराम उम्र 60 वर्ष जाति कलबी निवासी गोलिया कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर (राज0)।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. नेथी वल्द डाया उम्र 55 वर्ष
2. नवा वल्द डाया उम्र 50 वर्ष
3. चुतराराम पुत्र माहिंगा उम्र 27 वर्ष
4. छगनाराम पुत्र माहिंगा उम्र 25 वर्ष
5. मीरों पत्नी माहिंगा उम्र 47 वर्ष
6. वेना वल्द डामरा उम्र 50 वर्ष
7. नगाराम वल्द उकाराम उम्र 40 वर्ष
8. नरसाराम वल्द उका फौत के कायम–मुकाम
   8/1 रमेश पुत्र नरसाराम उम्र 13 वर्ष
   8/2 मुकेश पुत्र नरसाराम उम्र 7 वर्ष
   8/3 दिनेश पुत्र नरसाराम [illegible] वर्ष
   8/4 मीरो पत्नी नरसाराम [illegible] संख्या 8/1 से
   8/3 नाबालिग की कुदरती [illegible] माता प्रतिवादी संख्या 8/4
9. उमाराम वल्द उकाराम उम्र 30 वर्ष
10. अनाराम वल्द भीखाराम उम्र 18 वर्ष
11. चमुदेवी पत्नी भीखाराम उम्र 40 वर्ष
12. हीरोदेवी पत्नी उकाराम उम्र 60 वर्ष
[illegible] वल्द बींजाराम उम्र 50 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:45 IST
Reason: SelfAttested

hev 13. ताजाराम वल्द बींजाराम उम्र 50 वर्ष

14. बेसराराम पुत्र चेलाराम उम्र 60 वर्ष

15. भावाराम पुत्र गुणेशाराम उम्र 65 वर्ष जाति कलबी निवासी जूनाखेड़ा तहसल गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

16. तहसीलदार– गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने।

महोदयजी,

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निम्न प्रकार है :–

1. यह है कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया है जो विचाराधीन है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है तथा प्रथम दृष्टाय मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।
2. कि सरहद मौजा जूनाखेड़ा पटवार मण्डल भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस साथ प्रस्तुत है।
3. कि विप्रार्थी संख्या 1 से 15 हिन्दू विधि से शासित है जिसका खानदानी सजरा संलग्न परिशिष्ट ''ए'' में दर्शित है।
4. कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गोलिया कला विभक्त होने नवसृजित ग्राम जूनाखेड़ा के खसरा नम्बर 102 रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा की भूमि दिनांक 04.02.1973 को दस्तावेज संख्या 112/73 के द्वारा सम्पूर्ण भूमि का क्रय किया गया। रजिस्ट्रर्ड बेचान दस्तावेज प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर कब्जा करवा दिया था जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। बेचान भूमि ... प्रार्थीगण ने आपसी सहमति से बंटवारा कर वादग्रस्त भूमि उका वल्द ईरा के हिस्से में आई, उका वल्द ईरा ने परिवार का मुख्या, खानदानी कर्त्ता होने से सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण को बेचान कर दी प्रार्थीगण द्वारा बेचान दस्तावेज की प्रति तत्समय पटवारी को दे दी थी परन्तु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:45 IST
Reason: SelfAttested